निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
110/23	19.10.23	11.07.24

1 दयालु पुत्र चम्पाराम जाति मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — प्रार्थी

बनाम

1. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :— श्री दान सिंह मीना, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बडौली पटवार हल्का बडौली तहसील वजीरपुर में प्रार्थी की कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि (खाता संख्या 113), खसरा नंबर 168, 169, 170, 480, 497 कुल किता 5 कुल रकबा 2.19 है0, (खाता संख्या 111), खसरा नंबर 1027, 863 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0, (खाता संख्या 110), खसरा नंबर 1013 कुल किता 1 कुल रकबा 0.13 है0, (खाता संख्या 112), खसरा नंबर 1220, 1221, 531/1714, 533, 634, 635 कुल किता 6 कुल रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम बडौली में प्रार्थी का हिस्सा अनुसार रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम बडौली में स्थित है। जिसे प्रार्थी वहैसियत सखातेदार काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से किसी प्रकार का संबंध वास्ता नही है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदारी प्रार्थी व दयाल पुत्र चम्पाराम जाति मीना एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की सहखातेदारी दयाल पुत्र चम्पराम के नाम से चली आ रही है। उक्त संपूर्ण भूमि पर प्रार्थी लगातार शांति पूर्ण तरीके से कब्जा काश्त कर वहैसियत सहखातेदार चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर कब्जा काश्त हिस्सा अनुसार भूमि पर प्रार्थी का ही है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में हो रही गलती की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी ने दिनांक 30.09.2023 को के.सी.सी. बनवाने हेतु हल्का पटवारी से कहा तो हल्का पटवारी द्वारा उक्त तथ्य बतोन पर जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी ने जमाबंदी नकल प्राप्त की तब तहसीलदार वजीरपुर से उक्त दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार ने दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने बावत् कहा। इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी के असल दस्तावेज राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, टी.सी., अंकतालिका, ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी दयालु पुत्र चम्पाराम के नाम से दर्ज है इसलिए प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी शुद्धिकरण कराने का विधिक अधिकारी है। उक्त इंद्राज दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण न्यायहित में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि (खाता संख्या 113), खसरा नंबर 168, 169, 170, 480, 497 कुल किता 5 कुल रकबा 2.19 है0, (खाता संख्या 111), खसरा नंबर 1027, 863 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0, (खाता संख्या 110), खसरा नंबर 1013 कुल किता 1 कुल रकबा 0.13 है0, (खाता संख्या 112), खसरा नंबर 1220, 1221, 531/1714, 533, 634, 635 कुल किता 6 कुल रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम बडौली में दर्ज प्रार्थी का नाम दयाल पुत्र चम्पाराम के स्थान पर दयालु पुत्र चम्पाराम करने के आदेश करें।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 540 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बडौली पटवार मण्डल बडौली की जमाबंदी संवत् 2047–77 के खाता संख्या 106 किता 1 रकवा 0.13 है0, खाता संख्या 107 किता 2 रकवा 0.61 है0, खाता संख्या 108 किता 6 रकवा 1.00 है0, खाता संख्या 109 किता 5 रकवा 2.19 है0 में प्रार्थी का नाम दयाल पुत्र चम्पाराम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंकतालिका, टीसी आदि में दयालु पुत्र चम्पाराम दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दयालु के बजाय दयाल दर्ज हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि दयालु एवं दयाल एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दयालु के बजाय दयाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम दयालु पुत्र चम्पाराम है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2074–2077 के खाता सं. 106 (पुराना खाता संख्या 110), खाता संख्या 107 (पुराना खाता संख्या 111), खाता संख्या 109 (पुराना खाता संख्या 113), खाता संख्या 108 (पुराना खाता संख्या 112) में दर्ज प्रार्थी के नाम दयाल पुत्र चम्पाराम के स्थान पर दयालु पुत्र चम्पाराम किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौली की 2074–2077 के खाता सं. 106 (पुराना खाता संख्या 110), खाता संख्या 107 (पुराना खाता संख्या 111), खाता संख्या 109 (पुराना खाता संख्या 113), खाता संख्या 108 (पुराना खाता संख्या 112) में दर्ज प्रार्थी के नाम दयाल पुत्र चम्पाराम के स्थान पर दयालु पुत्र चम्पाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
(अनूप सिंह)
वजीरपुर (गंगापुरसिटी)

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर